

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राशमी जिला चितौड़गढ़  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प .....राशमी.....

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी .....राशमी.....  
व भू.अ.नि. राशमी..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार .....राशमी...../नायब  
तहसीलदार ..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम .....उत्तमपुरा..... तहसील.....राशमी..... व  
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् .....2077..... में खाता संख्या 75.21..... में  
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>उत्तमपुरा</u>	<u>75</u> <u>21</u>	<u>बेनीराम पुजा मोती</u>	<u>बन्नीराम पुजा मोती</u> <u>लाल</u>

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राशमी

दिनांक :- 10/11/21

क्रमांक:- 365/2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार .....राशमी..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री .....बन्नीराम पुजा मोती लाल..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,  
राशमी

